# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—84 / 2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड निगमित कार्यालय जयपुर राजस्थान—302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश सांगवाल पुत्र श्री राम सांगवाल
   पता—वार्ड नं. 23, खेतरपाल मंदिर रोड़, रावतसर जिला हनुमानगढ़।

.....ऋणी

2. श्रीमती दिपाली गलछानिया पत्नी श्री राजेश सांगवाल
   पता—वार्ड नं. 23, खेतरपाल मंदिर रोड़, रावतसर जिला हनुमानगढ़।

.....सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

## आदेश

दिनांकः—01.02.2023

प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय कोगटा हाउस आजाद मौहल्ला, विजयनगर—305624 राजस्थान एवं निगमित कार्यालय एस—1 गोपालबाड़ी अजमेर पुलिया के पास में मैट्रो पिल्लर नं. 143 के सामने जयपुर में स्थित है व कार्यरत है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी वित्तीय संस्था का एक निगमित कार्यालय जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी शक्ति सिंह शेखावत है।

प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कम्पनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को जरिये खाता सं. 0000144963 में रूपये 40,00,000/— की ऋण सुविधा दिनांक 29.04.2021 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति—वार्ड नं. 23 क्षेत्रपाल मन्दिर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 296.36 वर्गफीट है, जो कि श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में सम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 05.05.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 0000144963 में बकाया राशि 44,01,472 दिनांक 13.05.2022 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज

Web Copy Not Official

व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.05.2022 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। प्रार्थी कम्पनी के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति–वार्ड नं. 23 क्षेत्रपाल मन्दिर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 296.36 वर्गफीट है, जो कि श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़